राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(13)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा), जयपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री रमेश चन्द रैगर,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, आ.जां.दल सं. 08, जयपुर)	प्रभारी
2.	श्री प्रभु दयाल दीक्षित,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(प्रभारी, भौ.स.दल सं. 07, जयपुर)	सदस्य
3.	श्री प्रवीण शर्मा,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(सदस्य, भौ.स.दल सं. 09, जयपुर)	सदस्य

विशेष जांच कार्य संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(13)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

जांच के बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. ADPC समग्र शिक्षा, जयपुर कार्यालय शिक्षा संकुल की निर्माण शाखा के संबंध में वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की विशेष जांच की जानी है।
2. इस संबंध में कितनी राशि राज्य सरकार/भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई और उनकी टेंडर प्रक्रिया क्या रही?
3. कितने कार्य समय पर पूरे किये गये और कितने कार्य समय पर पूरे नहीं किये गये?
4. जिन कार्यों में संवेदकों द्वारा देरी की गई उन पर नियमानुसार कितनी पैनल्टी लगायी गई और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई?
5. कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों (UC/CC) की वर्षवार स्थिति।
6. उपरोक्त कार्यों से संबंधित अन्य कोई बिन्दु जो जांच से संबंधित हो।

उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि जांच कार्य दिनांक 01.10.2025 से प्रारम्भ कर अनियमितताओं के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित एक माह में पूर्ण कर विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

SD
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 21851-867 दिनांक :– 29.9.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना समन्वयक, (समग्र शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय राज्य परियोजना समन्वयक, (समग्र शिक्षा), राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, (समग्र शिक्षा), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
9. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री रमेश चन्द रैगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, आ.जां.दल सं. 08, जयपुर/श्री प्रभु दयाल दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रभारी, भौ.स..दल सं. 07, जयपुर/श्री प्रवीण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रभारी, भौ.स..दल सं. 09, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान जांच कार्य को स्थगित करते हुये उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)